



संख्या — /जी०एस०/शिक्षा/J-21/2014

प्रेषक,

राज्यालाल/कुलाधिपति के रायिव,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शोधा मे,

कुलाधिव,
श्री देव सुगंगा उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथोल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यालाल/कुलाधिपति रानिवाला उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक २३ मई, 2014

गतिविधि,

आपके पत्र संख्या SDSUV/B.Ed/2014/memo दिनांक 10-05-2014 व पत्र संख्या B.Ed/Affl/Court Order/109 दिनांक 15.05.2014 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शारांग की पवारिली रायिवा—TC. 2(1)xxiv(6)/2014 की संस्तुति तथा कतिपय संस्थानों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में गुज़े आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम/कुलाधिपति द्वारा श्री देव सुगंगा उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय—०६ की धारा—३३ (1) के अधीन निम्नांकित संस्थानों/महाविद्यालयों को समरत मानकों की पूर्ति होने के दशा में स्तम्भ—३ में वर्णित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख वर्णित रीटों की प्रवेश क्षमता के राथ स्तम्भ—५ में वर्णित अवधि के लिए आराई रामवद्धता की रवीकृति निम्न शर्तों के अधीन राहग प्रदान कर दी गई है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सामग्री की जाति
1	2	3	4	5
1.	ओम बायो साइंस एण्ड फार्मा कालेज फैकल्टी ऑफ बी०एड० कालेज, पंचायनपुर रुड़की जिला हरिद्वार।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
2.	आशा एकेडमी फार बी०एड० रुड़की जिला हरिद्वार।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
3.	भाया देवी एजूकेशनल फाउन्डेशन बी०एड० कालेज, रोलाकुर्झ देहरादून।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
4.	नार्दन इण्डिया कालेज आफ एजूकेशन, रुड़की।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
5.	निम्बस रकूल आफ एजूकेशन शाइरा, देहरादून।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
6.	रिम्स कालेज, दायिगाकी, गुरुकुल, नारसन, रुड़की जिला हरिद्वार।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
7.	शिवालिक इन्स्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज देहरादून।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
8.	बी०एस०ए० धूमिन बी०एड० कालेज, रुड़की।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
9.	अरोमा गल्ली कालेज रुड़की जिला हरिद्वार।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
10.	हर्ष विद्या मन्दिर कालेज आफ एजूकेशन, रायसी हरिद्वार।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
11.	हरीश चन्द्र रामकली बी०एड० कालेज लक्सर, हरिद्वार।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
12.	एस०जी०यी०जी० गैगोरियल कालेज आफ एजूकेशन, देवाल, चमोली।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
13.	वीहाईव कालेज आफ गैनेजमेन्ट एण्ड ट्रैक्नोलॉजी, रोलाकुर्झ देहरादून।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
14.	गदरहुड इन्स्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, हरिद्वार।	बी०एड०	100 रीट	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।

15.	सनराईज एकेडमी मैनेजमेंट सोसाइटी, रुड्डी हरिद्वार।	बी०ए८०	100 रुपये	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
16.	व्ह्यू माउन्टेन कालेज आफ टीचर एजुकेशन, देहरादून।	बी०ए८०	100 रुपये	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
17.	जगन्नाथ विश्वकर्मा कालेज आफ एजुकेशन, पोखरी ग्रान्ट देहरादून।	बी०ए८०	100 रुपये	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
18.	आर्यन कालेज आफ टीचर एजुकेशन, रुड्डी हरिद्वार।	बी०ए८०	100 रुपये	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
19.	अश्वथामा कालेज आफ टीचर एजुकेशन, झाङ्गा देहरादून।	बी०ए८०	100 रुपये	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
20.	पी०आई०टी०एस० बी०ए८० कालेज, उत्तरकाशी।	बी०ए८०	100 रुपये	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
21.	एस०वी० कालेज आफ एजुकेशन, विकारानगर देहरादून।	बी०ए८०	100 रुपये	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
22.	हिमालयन इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन एण्ड टक्नोलॉजी, पोखरी, चमोली।	बी०ए८०	100 रुपये	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।
23.	नार्दन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट रट्टीज, प्रेमनगर देहरादून।	बी०ए८०	100 रुपये	शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु।

1. यह अस्थाधी सम्बद्धता संरक्षन द्वारा सभी मानकों की पूर्ति की रात के अधीन प्रदान की जा रही है। इसी मध्य सभी प्रकरणों का पृथक से परीक्षण किया जायेगा तथा भावी अस्थाई राम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय या कार्यवाही उसी आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
2. सब्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थानों/कालेजों को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निरीक्षाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थानों द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवरथापना सुविधायें, शैक्षिक-शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियों, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रांगथान द्वारा यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संरक्षन का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति / प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
5. संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय, शासन, एवं महामहिम कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
6. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि संस्थानों द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी रिपोर्ट गों शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को तापरा लिये जाने के राम्यन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

ब्राग्गशः—.....

(3)

8. संस्थानों के कार्यरत फैकल्टी के सदस्यों का वेतन का भुगतान दैर्घ्य में फैकल्टी के सदस्यों के नाम खाले गये खाते थे भाष्यम् ऐ, किथा पायेगा, पिरायी पुष्टि शास्य-शास्य पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के सम्बन्धित पाठ्यक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
9. रारथानों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० को अधिनियम के अनुराग आरक्षण दिया जाना होगा।
10. रारथानों द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं? इस सांबंध में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी। अन्यथा आगामी अरस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

३

(अरुण कुमार ढौड़ियाल)
कुलाधिपति के राचिव।

संख्या 625 (1) / जी०एस० / J-21 / 2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्दानी।
3. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, शान्तिपथ, जयपुर (राजस्थान)।
4. प्रवन्धक/प्राचार्य उपरोक्त समरक संस्थान/महाविद्यालय।
5. उच्च शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा रो,

(घनश्याम शर्मा)
कुलाधिपति के अनुराचिव।